

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

संख्या-4/क्षेत्रा० मुक० (मुख्यालय)-05-37/2026- ~~484~~ (4)/रा०, पटना-15, दिनांक- 29/09/26

बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 की कंडिका-03 के तहत राजस्व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-13 में राज्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन अंतर जिला में विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026 द्वारा किया गया।

2. वादी द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-11071/2026 प्रमोद कुमार बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में वाद दायर किया गया।

उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-06.08.2026 को पारित आदेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"6. Having considered the submissions advanced by learned Advocate for the respective parties and taking note of the fact that identically situated persons have approached this Court, wherein this Court had considered the matter and disposed of the same vide order dated 24.07.2026 with a direction to the concerned authorities to consider the representation on various grounds, including the grounds raised hereinabove.

7. In view, thereof, this Court also deems it proper to dispose of the writ petition with a direction to the petitioner to approach before the respondent no. 3 by filing a detailed representation along with the co-ordinate Bench decision as referred hereinabove, who shall look into the grievance of the petitioner, especially the petitioner is at the fag end of his service; besides, he was engaged in census duty, and his case also stand at parity with those of the petitioners of CWJC No. 10922 of 2026, preferably within a period of four weeks from today.

8. Accordingly, the present writ petition stands disposed off."

3. याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क/बिन्दु :-

याचिकाकर्ता श्री प्रमोद कुमार, गृह जिला-पटना द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य उपस्थित किये गये हैं :-

(i) विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026 द्वारा उनका स्थानांतरण पटना जिला से गोपालगंज जिलान्तर्गत किया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक-31.07.2027 को है तथा सेवा अवधि एक वर्ष से कम रहने के बिन्दु पर कम गंभीरता दिखाई गई है। बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 की कंडिका-07 को रेखांकित करते हुए उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि बची हो, तो राजस्व कर्मचारी को यथासंभव ऐच्छिक पदस्थापन किया जा सकेगा।

(ii) उपरोक्त के अलावा याचिकाकर्ता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि मैं शारीरिक समस्याओं से लेकर परेशान हूँ। मेरी पत्नी भी शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से ग्रसित है। घर से काफी दूरी होने के कारण मैं अपनी पत्नी का देख-भाल नहीं कर पा रहा हूँ। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए मेरी पदस्थापन गोपालगंज जिला से गृह जिला पटना में करने की कृपा की जाय।

4. याचिकाकर्ता/आवेदक के उपरोक्त अभ्यावेदन का समीक्षा, प्रावधान एवं प्राधिकार का निर्णय निम्नवत् है:-

(i) बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियामवली, 2025 की कंडिका-03 के तहत राजस्व कर्मचारियों को राज्य स्तरीय संवर्ग घोषित किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका-13 में राज्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन अंतर जिला में विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026 द्वारा किया गया।

साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा दिये निदेश के आलोक में बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 का गठन किया गया है।

(ii) विभागीय पत्रांक-162(4), दिनांक-13.05.2026 द्वारा राजस्व कर्मचारियों को राज्य अन्तर्गत स्थानांतरण के निमित्त पोर्टल के माध्यम से विकल्प चुनने का अवसर दिया गया।

(iii) प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय आदेश संख्या-298(4), दिनांक-14.07.2026, विभागीय शुद्धि पत्र आदेश संख्या-326(4), दिनांक-

23.07.2026 एवं शुद्धि पत्र आदेश संख्या-336(4), दिनांक-28.07.2026 द्वारा कुल-3268 राजस्व कर्मचारियों का Randomly स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है।

Randomly स्थानांतरण/पदस्थापन के तहत कुल-2533 राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक स्थानांतरण/पदस्थापन हुआ है।

(iv) इस मामले में वादी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आलोक में, यह भी उल्लेखनीय है कि कुल कार्यरत राजस्व कर्मचारियों में से मगध एवं पटना प्रमण्डल के कर्मियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण एवं प्रत्येक जिला के राजस्व के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु सभी राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक जिलों में राजस्व कर्मचारियों की संख्या निर्धारित है, ऐसे में सभी कर्मियों का ऐच्छिक पदस्थापन किये जाने पर राजस्व कर्मचारियों की संख्या किसी जिला में बहुत कम, किसी जिला में बहुत अधिक हो जाएगी, जिसके कारण हल्कों का कार्य प्रभावित होगा।

(v) राजस्व कर्मचारियों के कुल-8054 रिक्त पदों के विरुद्ध प्रेषित अध्याचना के आलोक में नियमित नियुक्ति के पश्चात् सभी राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन आस-पास जिलों में किया जाना संभव हो सकता है।

(vi) जनगणना, 2027 संबंधी राष्ट्रीय महत्व के समयबद्ध कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थानांतरित राजस्व कर्मचारियों को उनके जिलों की प्रशिक्षण समाप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त विरमित किये जाने का निदेश विभागीय पत्रांक-216/रा०, दिनांक-16.07.2026 द्वारा सभी समाहर्ता, बिहार को दिया गया है।

5(i) माननीय न्यायालय द्वारा दिये निदेश के आलोक में बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 का गठन किया गया है। उक्त नीति के तहत सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन वर्ष में एक बार माह-जून में किया जाना है।

(ii) उक्त नीति की कंडिका-7 में स्पष्ट किया गया है कि बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली-2025 के नियम-3(ii) के तहत राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा। यदि सेवानिवृत्ति में एक वर्ष की कम अवधि बची हो, तो राजस्व कर्मचारी का यथासंभव ऐच्छिक पदस्थापन किया जा सकता है।

(iii) कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण केवल जून माह में किया जाना निर्धारित है। साथ ही सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम अवधि शेष होने की स्थिति में यथासंभव पदस्थापन का प्रावधान है।

(iv) बिहार राजस्व कर्मचारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति-2026 में कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों को छोड़कर सामान्य स्थानांतरण एवं पदस्थापन राजस्व कर्मचारियों का केवल जून माह में किये जाने का प्रावधान है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में माह-जून, 2027 अथवा भविष्य में स्थानांतरण एवं पदस्थापन के समय याचिकाकर्ता को उनके गृह जिला में यथासंभव ऐच्छिक पदस्थापन किये जाने पर विचार किया जाएगा।

6. तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-11071/2026 प्रमोद कुमार बनार्न बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-06.08.2026 का अनुपालन करते हुए अभ्यावेदन को सकारण निष्पादित किया जाता है।

ई-मेल

ज्ञापांक-4/क्षे०स्था० मुक० (मुख्यालय)-05-37/2026-484(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-29/09/26
प्रतिलिपि :-समाहर्ता/अपर समाहर्ता, पटना एवं गोपालगंज, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव 29/9/26

ज्ञापांक-4/क्षे०स्था० मुक० (मुख्यालय)-05-37/2026-484(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-29/09/26
प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबंधित को आदेश की प्रति ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब-साइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव 29/9/26

(जय सिंह)
सचिव 29/9/26